रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 28, 2014/माघ 8, 1935
No. 47] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 28, 2014/MAGHA 8, 1935

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 67(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से एतद्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 में पुन: संशोधन हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) संशोधन नियम, 2014 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 में,—

(क) नियम 7 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"7 नियुक्तियां.— (1) संवर्ग अधिकारियों की सभी नियुक्तियां इन नियमों में अनुबंधित अनुसूची में निर्धारित किए अनुसार सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश के अनुसार की जाएंगी।

(2) उप-नियम (1) में उल्लिखित संवर्ग पदों पर सभी नियुक्तियां —

(क) राज्य संवर्ग के मामले में राज्य सरकार द्वारा; और

(ख) संयुक्त संवर्ग के मामले में, संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाएंगी :

(3) किसी संवर्ग पद पर नियुक्त संवर्ग अधिकारी का इस दौरान पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति अथवा दो महीनों से अधिक प्रशिक्षण आदि को छोड़कर उनका कम से कम दो वर्षों का कार्यकाल होगा ।

(4) किसी संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्त संवर्ग अधिकारी का इस दौरान पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति अथवा दो महीनों से अधिक प्रशिक्षण आदि को छोड़कर, उक्त पद के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई अवधि का कार्यकाल रहेगा।

(5) जैसा कि इन नियमों में अनुबंधित अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, किसी संवर्ग अधिकारी को सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश पर न्यूनतम निर्धारित कार्यकाल से पहले स्थानांतरित कर सकती है।

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी इसके कारणों को रिकार्ड करते हुए सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश को रद्द कर सकता है।

(ख) 7क. अभिभावी प्रभाव,- इस समय लागू अन्य अधिसूचनाओं में शामिल विपर्ययों के होते हुए भी ये नियम प्रभावी होंगे।"

(ग) अधिसूची के लिए निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :—

अनुसूची

[नियम 7(1) और (5) देखें]

1. सिविल सेवा बोर्ड की संरचना:

प्रत्येक राज्य सरकार एक सिविल सेवा बोर्ड का गठन करेंगी जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी:

(i)	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(ii)	वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव अथवा अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड या वित्त आयुक्त या समकक्ष पद या स्तर का कोई अधिकारी	सदस्य
(iii)	राज्य सरकार के कार्मिक विभाग में प्रधान सचिव या सचिव	सदस्य सचिव

2. **कार्यकरण**.— (क) सिविल सेवा बोर्ड संवर्ग अधिकारियों की सभी नियुक्तियों हेतु सिफारिशें करेगा।

(ख) सिविल सेवा बोर्ड, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 7 के उप नियम (3) और (4) के तहत यथानिर्धारित न्यूनतम कार्यकाल के पूरा होने से पूर्व स्थानांतरण हेतु प्रस्तावित अधिकारियों के मामलों की जांच करेगा।

(ग) सिविल सेवा बोर्ड, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 7 के उप नियम (3) और (4) के तहत निर्धारित कार्यकाल से पूर्व स्थानांतरण पर उन अपेक्षित परिस्थितियों के आधार पर विचार करेगा जिनसे सिविल सेवा बोर्ड स्वयं संतुष्ट हो।

(घ) सिविल सेवा बोर्ड न्यूनतम कार्यकाल पूरा होने से पहले स्थानांतरित किए जाने वाले अधिकारियों के नाम लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों सहित सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश करेगा।

3. **प्रक्रिया**.— (क) सिविल सेवा बोर्ड निर्धारित कार्यकाल से पहले किसी अधिकारी के स्थानांतरण हेतु सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभाग से विस्तृत औचित्य प्राप्त करेगा।

(ख) सिविल सेवा बोर्ड—

(i) अन्य विश्वस्त स्रोतों से उसको प्राप्त अन्य निविष्टियों सहित प्रशासनिक विभाग की रिपोर्ट पर विचार करेगा;

(ii) बोर्ड के पास स्थानांतरित किए जाने हेतु प्रस्तावित अधिकारी से प्रस्ताव के औचित्य के रूप में बोर्ड को प्रस्तुत की गई परिस्थितियों के संबंध में टिप्पणियां प्राप्त करेगा;

(iii) समयपूर्व स्थानांतरण के संबंध में कारणों से संतुष्ट हुए बिना इस प्रकार के स्थानांतरण की सिफारिश नहीं करेगा।

(ग) सिविल सेवा बोर्ड न्यूनतम निर्धारित कार्यकाल से पूर्व स्थानांतरण हेतु अनुशंसित अधिकारियों का स्पष्ट विवरण दर्शाते हुए उसके कारणों सहित उसके द्वारा उचित समझे जाने वाले प्रारूप में केन्द्र सरकार को एक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा :

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी लिखित आदेश के माध्यम से कारणों को रिकार्ड करते हुए सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिशों को निरस्त कर सकता है ।

[फा. सं. 11033/1(क)/2014-अ.भा.से.-II]

मनोज कुमार द्विवेदी, निदेशक (सेवा)

टिप्पणी: मुख्य नियम भारत के राजपत्र के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (1) में दिनांक 08 सितम्बर, 1954 को सा.का.नि.सं. 152 के तहत प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए थे ।

क्र. सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक
1.	115	28 फरवरी, 1958
2.	1717	05 दिसम्बर, 1964
3.	1718	05 दिसम्बर, 1964
4.	279	22 मार्च,1973
5.	524	01 मई, 1974
6.	56	18 जनवरी,1975
7.	899	26 जुलाई, 1975
8.	1464	16 अक्तूबर, 1975
9.	213ई	14 मार्च, 1984
10.	909ई	11 नवम्बर, 1987
11.	128ई	10 मार्च, 1995
12.	289	05 अगस्त, 2000
13.	502ई	24 अगस्त, 2006

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training))

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2014

G.S.R. 67(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Governments of States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, namely:-

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Cadre) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954,—

(a) for rule 7, the following shall be substituted, namely:—

"7. Postings.–(1) All appointments of cadre officers shall be made on the recommendation of the Civil Services Board as specified in the Schedule annexed to these rules.

(2) All appointments to cadre posts referred to in sub-rule (1) shall be made—

(a) in the case of a State Cadre, by the State Government; and

(b) in the case of a Joint Cadre, by the State Government concerned:

(3) A cadre officer, appointed to any cadre post shall hold the office for at least two years unless in the meantime he or she has been promoted, retired or sent on deputation outside the State or training exceeding two months.

(4) A cadre officer, appointed to any ex-cadre post shall hold office for such period as may be specified by the State Government for that post, unless in the meantime he or she has been promoted, retired or sent on deputation outside the State or training exceeding two months.

(5) The Central Government or the State Government as the case may be, may transfer a cadre officer before the minimum specified period on the recommendation of the Civil Services Board as specified in the Schedule annexed to these rules:

Provided that the Competent Authority may reject the recommendation of the Civil Services Board by recording the reasons therefor.

(b) 7A. Overriding effect,— These rules shall have effect not withstanding anything contrary contained in any other notifications for the time being in force.".

(c) for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

Schedule

[See rule 7(1) and (5)]

1. Composition of the Civil Services Board:

Every State Government shall constitute a Civil Services Board which shall consist of—

(i)	Chief Secretary	Chairman
(ii)	Senior most Additional Chief Secretary or Chairman, Board of Revenue or Financial Commissioner or an officer of equivalent rank and status	Member
(iii)	Principal Secretary or Secretary, Department of Personnel in the State Government	Member Secretary

2. Functions.— (a) The Civil Services Board shall make recommendation for all appointments of cadre officers.

(b) The Civil Services Board shall examine the cases of officers who are proposed to be transferred before completion of minimum period of service as specified under sub-rules (3) and (4) of rule 7 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

(c) The Civil Services Board may consider for transfer before the tenure fixed under sub-rules (3) and (4) of rule 7 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 based on such circumstances as it thinks fit.

(d) The Civil Services Board may recommend the Competent Authority the names of officers for transfer before completion of minimum tenure with reasons to be recorded in writing.

3. Procedure.— (a) The Civil Services Board shall seek detailed justification from the Administrative Department of the concerned State Government for the transfer of an officer before the specified tenure.

(b) The Civil Services Board shall—

(i) consider the report of the Administrative Department along with any other inputs it may have from other reliable sources;

(ii) obtain the comments or views of the officer proposed to be transferred based on the circumstances presented to it in justification of the proposal;

(iii) not make recommendation for premature transfer of Cadre Officers unless it has been satisfied itself of the reasons for such premature transfer.

(c) The Civil Services Board shall submit a quarterly report in such Form as it thinks fit to the Central Government clearly stating the details of officers recommended to be transferred before the minimum specified tenure and the reasons therefor:

Provided that the Competent Authority may reject the recommendation of the Civil Services Board for the reasons to be recorded in writing.

[F.No.11033/1(A)/2014-AIS-II]

MANOJ KUMAR DWIVEDI, Director (Services)

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 152, dated the 8th September, 1954 and subsequently amended by—

Sl.No.	G.S.R. No.	Date
1.	115	28th February,1958
2.	1717	05th December, 1964
3.	1718	05th December, 1964
4.	279	22nd March, 1973
5.	524	01st May, 1974
6.	56	18th January, 1975
7.	899	26th July, 1975
8.	1464	16th October, 1975
9.	213E	14th March 1984
10.	909E	11th November, 1987
11.	128E	10th March 1995
12.	289	05th August, 2000
13.	502E	24th August, 2006

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2014

सा.का.नि.68(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से एतद्वारा भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 में पुन: संशोधन हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) संशोधन नियम, 2014 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 में,—

(क) नियम 7 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"7 नियुक्तियां.— (1) संवर्ग अधिकारियों की सभी नियुक्तियां इन नियमों में अनुबंधित अनुसूची में निर्धारित किए अनुसार सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश के अनुसार की जाएंगी ।

(2) उप-नियम (1) में उल्लिखित संवर्ग पदों पर सभी नियुक्तियां,

(क) राज्य संवर्ग के मामले में राज्य सरकार द्वारा; और

(ख) संयुक्त संवर्ग के मामले में, संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाएंगी:

बशर्ते कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार अवकाश रिक्तियां भरने हेतु या तीन महीनों से कम अवधि हेतु अस्थाई व्यवस्था करने के उद्देश्य से संवर्ग अधिकारी का स्थानांतरण कर सकती है या संवर्ग पदों पर नियुक्तियां करने हेतु विभागाध्यक्षों को अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकती हैं।

(3) किसी संवर्ग पद पर नियुक्त संवर्ग अधिकारी का इस दौरान पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति अथवा दो महीनों से अधिक प्रशिक्षण आदि को छोड़कर उनका कम से कम दो वर्षों का कार्यकाल होगा ।

(4) किसी संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्त संवर्ग अधिकारी का इस दौरान पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति अथवा दो महीनों से अधिक प्रशिक्षण आदि को छोड़कर, उक्त पद के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई अवधि का कार्यकाल रहेगा।

(5) जैसा कि इन नियमों में अनुबंधित अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, किसी संवर्ग अधिकारी को सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश पर न्यूनतम निर्धारित कार्यकाल से पहले स्थानांतरित कर सकती है :

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी इसके कारणों को रिकार्ड करते हुए सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश को रद्द कर सकता है ।"

(ख) अधिसूची के लिए निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :—

अनुसूची

[नियम 7(1) और (5) देखें]

1. सिविल सेवा बोर्ड की संरचना:

प्रत्येक राज्य सरकार एक सिविल सेवा बोर्ड का गठन करेंगी जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी—

(i)	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(ii)	वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव अथवा अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड या वित्त आयुक्त या समान पद या स्तर का कोई अधिकारी	सदस्य
(iii)	राज्य सरकार में प्रधान सचिव या सचिव, कार्मिक विभाग	सदस्य सचिव
(iv)	प्रधान सचिव या सचिव, गृह	सदस्य
(v)	महानिदेशक (पुलिस)	सदस्य

2. कार्यकरण.—(क) सिविल सेवा बोर्ड संवर्ग अधिकारियों की सभी नियुक्तियों हेतु सिफारिशें करेगा।

(ख) सिविल सेवा बोर्ड, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 7 के उप नियम (3) और (4) में यथानिर्धारित न्यूनतम कार्यकाल के पूरा होने से पहले स्थानांतरण हेतु प्रस्तावित अधिकारियों के मामलों की जांच करेगा ।

(ग) सिविल सेवा बोर्ड, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 7 के उप नियम (3) और (4) में निर्धारित कार्यकाल से पहले स्थानांतरण कर उन अपेक्षित परिस्थितियों के आधार पर विचार करेगा जिनसे सिविल सेवा बोर्ड स्वयं संतुष्ट हो ।

(घ) सिविल सेवा बोर्ड न्यूनतम कार्यकाल पूरा होने से पहले स्थानांतरित किए जाने वाले अधिकारियों के नाम लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों सहित सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश करेगा ।

3. प्रक्रिया.— (क) सिविल सेवा बोर्ड निर्धारित कार्यकाल से पहले किसी अधिकारी के स्थानांतरण हेतु सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभाग से विस्तृत औचित्य प्राप्त करेगा ।

(ख) सिविल सेवा बोर्ड—

(i) अन्य विश्वस्त स्रोतों से उसको प्राप्त अन्य निविष्टियों सहित प्रशासनिक विभाग की रिपोर्ट पर विचार करेगा;

(ii) बोर्ड के पास स्थानांतरित किए जाने हेतु प्रस्तावित अधिकारी से प्रस्ताव के औचित्य के रूप में बोर्ड को प्रस्तुत की गई परिस्थितियों के संबंध में टिप्पणियां प्राप्त करेगा;

(iii) समयपूर्व स्थानांतरण के संबंध में कारणों से संतुष्ट हुए बिना इस प्रकार के स्थानांतरण की सिफारिश नहीं करेगा ।

(ग) सिविल सेवा बोर्ड न्यूनतम निर्धारित कार्यकाल से पहले स्थानांतरण हेतु अनुशंसित अधिकारियों का स्पष्ट विवरण और उसके कारणों सहित उसके द्वारा उचित समझे गए प्रारूप में केन्द्र सरकार को एक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा :

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश को रद्द कर सकता है ।

[फा.सं. 11033/1(ख)/2014-अ.भा.से.-।।]

मनोज कुमार द्विवेदी, निदेशक (सेवा)

टिप्पणी: मुख्य नियम भारत के राजपत्र के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (1) में दिनांक 08 सितम्बर, 1954 को सा.का.नि. 152 के तहत प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए थे।

क्र.सं.	अधिसूचना/सा.का.नि. सं.	दिनांक
1.	13/2/56अ.भा.से-।।	28 फरवरी, 1958
2.	6/19/62- अ.भा.से-।	26 दिसम्बर,1963
3.	6/8/64- अ.भा.से-।	30 नवम्बर, 1964
4.	5/2/58- अ.भा.से-।।	04 मई, 1966
5.	13/4/71- अ.भा.से-।	11 जनवरी, 1972
6.	1/1/72- अ.भा.से-।(ख)	16 मार्च, 1973
7.	50	18 जनवरी, 1975
8.	11039/6/75- अ.भा.से-।(ख)	16 मार्च, 1973
9.	11051/1/76 अ.भा.से-।(ख)	10 जनवरी, 1977
10.	747	10 अगस्त, 1985
11.	14022/1/88-अ.भा.से.	05 अप्रैल, 1988
12.	241	13 मई, 1989
13.	129ई	10 मार्च, 1995
14.	290	05 अगस्त,2000
15.	503ई	24 अगस्त, 2006

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2014

G.S.R. 68(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Governments of States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Cadre) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954,—

(a) for rule 7, the following shall be substituted, namely:—

"7. Postings.—(1) All appointments of cadre officers shall be made on the recommendation of the Civil Services Board as specified in the Schedule annexed to these rules.

(2) All appointments to cadre posts referred to in sub-rule (1) shall be made—

(a) in the case of a State Cadre, by the State Government; and

(b) in the case of a Joint Cadre, by the State Government concerned:

Provided that the Central Government or the State Government may transfer a cadre officer for the purpose of filling leave vacancies or for making temporary arrangements for a period not exceeding three months, delegate its power of making appointments to cadre posts to Heads of Departments.

(3) A cadre officer, appointed to any cadre post shall hold office for at least two years unless in the meantime he or she has been promoted, retired or sent on deputation outside the State or training exceeding two months.

(4) A cadre officer, appointed to any ex-cadre post shall hold office for such period as may be specified by the State Government for that post, unless in the meantime he or she has been promoted, retired or sent on deputation outside the State or training exceeding two months.

(5) The Central Government or the State Government as the case may be, may transfer a cadre officer before the minimum specified period on the recommendation of the Civil Services Board as specified in the Schedule annexed to these rules:

Provided that the Competent Authority may reject the recommendation of the Civil Services Board by recording the reasons therefor.".

(b) for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

[See rule 7(1) and (5)]

1. Composition of the Civil Services Board:

Every State Government shall constitute a Civil Services Board which shall consist of—

(i)	Chief Secretary	Chairman
(ii)	Senior most Additional Chief Secretary or Chairman, Board of Revenue or Financial Commissioner or an officer of equivalent rank and status	Member
(iii)	Principal Secretary or Secretary, Department of Personnel in the State Government	Member Secretary
(iv)	Principal Secretary or Secretary, Home	Member
(v)	Director General of (Police)	Member

2. Functions.—(a) The Civil Services Board shall make recommendation for all appointments of cadre officers.

(b) The Civil Services Board shall examine the cases of officers who are proposed to be transferred before completion of minimum period of service as specified under sub-rules (3) and (4) of rule 7 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954.

(c) The Civil Services Board may consider for transfer before the tenure fixed under sub-rules (3) and (4) of rule 7 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 based on such circumstances as it thinks fit.

(d) The Civil Services Board may recommend the Competent Authority the names of officers for transfer before completion of minimum tenure with reasons to be recorded in writing.

3. Procedure.—(a) The Civil Services Board shall seek detailed justification from the Administrative Department of the concerned State Government for the transfer of an officer before the specified tenure.

(b) The Civil Services Board shall—

(i) consider the report of the Administrative Department along with any other inputs it may have from other reliable sources;

(ii) obtain the comments or views of the officer proposed to be transferred based on the circumstances presented to it in justification of the proposal;

(iii) not make recommendation for premature transfer of Cadre Officers unless it has been satisfied itself of the reasons for such premature transfer.

(c) The Civil Services Board shall submit a quarterly report in such Form as it thinks fit to the Central Government clearly stating the details of officers recommended to be transferred before the minimum specified tenure and the reasons therefor:

Provided that the Competent Authority may reject the recommendation of the Civil Services Board for the reasons to be recorded in writing.

[F. No.11033/1(B)/2014-AIS-II]

MANOJ KUMAR DWIVEDI, Director (Services)

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 152, dated the 8th September, 1954 and subsequently amended by—

Sl. No.	Notification/G.S.R. No.	Date
1.	13/2/56AIS-II	28th February, 1958
2.	6/19/62-AIS-I	26th December, 1963
3.	6/8/64-AIS-I	30th November, 1964
4.	5/2/58-AIS-II	4th May, 1966
5.	13/4/71-AIS-I	11th January, 1972
6.	1/1/72-AIS-I(B)	16th March, 1973
7.	50	18th January, 1975
8.	11039/6/75-AIS-I(B)	16th March, 1973
9.	11051/1/76-AIS-I(B)	10th January, 1977
10.	747	10th August, 1985
11.	14022/1/88-AIS- I	5th April, 1988
12.	241	13th May, 1989
13.	129E	10th March, 1995
14.	290	5th August, 2000
15.	503E	24th August, 2006

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 69(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से एतद्वारा भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 में पुन: संशोधन हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय वन सेवा (संवर्ग) संशोधन नियम, 2014 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 में, —

(क) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: —

"7 नियुक्तियां.— (1) संवर्ग अधिकारियों की सभी नियुक्तियां इन नियमों में अनुबंधित अनुसूची में निर्धारित किए अनुसार सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश के अनुसार की जाएंगी ।

(2) उप-नियम (1) में उल्लिखित संवर्ग पदों पर सभी नियुक्तियां—

(क) राज्य संवर्ग के मामले में राज्य सरकार द्वारा; और

(ख) संयुक्त संवर्ग के मामले में, संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाएंगी:

बशर्ते कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार अवकाश रिक्तियां भरने हेतु या तीन महीनों से कम अवधि हेतु अस्थाई व्यवस्था करने के उद्देश्य से संवर्ग अधिकारी का स्थानांतरण कर सकती है या संवर्ग पदों पर नियुक्तियां करने हेतु विभागाध्यक्षों को अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकती हैं।

(3) किसी संवर्ग पद पर नियुक्त संवर्ग अधिकारी का इस दौरान पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति अथवा दो महीनों से अधिक प्रशिक्षण आदि को छोड़कर उनका कम से कम दो वर्षों का कार्यकाल होगा ।

(4) किसी संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्त संवर्ग अधिकारी का इस दौरान पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति अथवा दो महीनों से अधिक प्रशिक्षण आदि को छोड़कर, उक्त पद के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई अवधि का कार्यकाल रहेगा।

(5) जैसा कि इन नियमों में अनुबंधित अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, किसी संवर्ग अधिकारी को सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश पर न्यूनतम निर्धारित कार्यकाल से पहले स्थानांतरित कर सकती है :

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी इसके कारणों को रिकार्ड करते हुए सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश को रद्द कर सकता है ।"

(ख) अधिसूची के लिए निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :—

अनुसूची

[नियम 7(1) और (5) देखें]

1. सिविल सेवा बोर्ड की संरचना:

प्रत्येक राज्य सरकार एक सिविल सेवा बोर्ड का गठन करेगी जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी—

(i)	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(ii)	वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव अथवा अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड या वित्त आयुक्त या समकक्ष पद या स्तर का कोई अधिकारी	सदस्य
(iii)	राज्य सरकार के कार्मिक विभाग में प्रमुख सचिव या सचिव	सदस्य सचिव
(iv)	प्रधान सचिव या सचिव, वन	सदस्य
(v) -	प्रधान मुख्य संरक्षक, वन	सदस्य

2. कार्यकरण.— (क) सिविल सेवा बोर्ड संवर्ग अधिकारियों की सभी नियुक्तियों हेतु सिफारिशें करेगा ।

(ख) सिविल सेवा बोर्ड, भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 7 के उप नियम (3) और (4) में यथानिर्धारित न्यूनतम कार्यकाल के पूरा होने से पहले स्थानांतरण हेतु प्रस्तावित अधिकारियों के मामलों की जांच करेगा ।

(ग) सिविल सेवा बोर्ड, भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 7 के उप नियम (3) और (4) में निर्धारित कार्यकाल से पहले स्थानांतरण कर उन अपेक्षित परिस्थितियों के आधार पर विचार करेगा जिन्हें सिविल सेवा बोर्ड उचित समझता है।

(घ) सिविल सेवा बोर्ड न्यूनतम कार्यकाल पूरा होने से पहले स्थानांतरित किए जाने वाले अधिकारियों के नाम लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों सहित सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश करेगा ।

3. प्रक्रिया.— (क) सिविल सेवा बोर्ड निर्धारित कार्यकाल से पहले किसी अधिकारी के स्थानांतरण हेतु सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभाग से विस्तृत औचित्य प्राप्त करेगा ।

(ख) सिविल सेवा बोर्ड—

(i) अन्य विश्वस्त स्रोतों से उसको प्राप्त अन्य निविष्टियों सहित प्रशासनिक विभाग की रिपोर्ट पर विचार करेगा;

(ii) बोर्ड के पास स्थानांतरित किए जाने हेतु प्रस्तावित अधिकारी से प्रस्ताव के औचित्य के रूप में बोर्ड को प्रस्तुत की गई परिस्थितियों के संबंध में टिप्पणियां प्राप्त करेगा;

(iii) समयपूर्व स्थानांतरण के संबंध में कारणों से संतुष्ट हुए बिना इस प्रकार के स्थानांतरण की सिफारिश नहीं करेगा ।

(ग) सिविल सेवा बोर्ड न्यूनतम निर्धारित कार्यकाल से पहले स्थानांतरण हेतु अनुशंसित अधिकारियों का स्पष्ट विवरण और उसके कारणों सहित उसके द्वारा उचित समझे गए प्रारूप में केन्द्र सरकार को एक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा :

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिश को रद्द कर सकता है ।

[फा. सं. 11033/1(ग)/2014-अ.भा.से.-II]

मनोज कुमार द्विवेदी, निदेशक (सेवा)

टिप्पणी: मुख्य नियम भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 01 सितम्बर, 1966 को सा.का.नि. 1337 के तहत प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए ।

क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक
1.	2440	25 अक्तूबर, 1969
2.	485	21 मार्च, 1970
3.	315	18 मार्च, 1972
4.	385ई	06 जुलाई, 1974
5.	1466	16 अक्तूबर, 1976
6.	124	29 जनवरी, 1977
7.	102ई	26 फरवरी, 1985
8.	1062ई	04 नवंबर, 1988
9.	379ई	19 अप्रैल, 1993
10.	130ई	10 मार्च, 1995
11.-	291	05 अगस्त, 2000
12.	504ई	24 अगस्त, 2006

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2014

G.S.R. 69(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Governments of States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Forest Service (Cadre) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966,—

(a) for rule 7, the following shall be substituted, namely:—

"7. Postings.–(1) All appointments of cadre officers shall be made on the recommendation of the Civil Services Board as specified in the Schedule annexed to these rules.

(2) All appointments to cadre posts referred to in sub-rule (1) shall be made—

(a) in the case of a State Cadre, by the State Government; and

(b) in the case of a Joint Cadre, by the State Government concerned:

Provided that the Central Government or the State Government may transfer a cadre officer for the purpose of filling leave vacancies or for making temporary arrangements for a period not exceeding three months, delegate its power of making appointments to cadre posts to Heads of Departments.

(3) A cadre officer, appointed to any cadre post shall hold office for at least two years unless in the meantime he or she has been promoted, retired or sent on deputation outside the State or training exceeding two months.

(4) A cadre officer, appointed to any ex-cadre post shall hold office for such period as may be specified by the State Government for that post, unless in the meantime he or she has been promoted, retired or sent on deputation outside the State or training exceeding two months.

(5) The Central Government or the State Government as the case may be, may transfer a cadre officer before the minimum specified period on the recommendation of the Civil Services Board as specified in the Schedule annexed to these rules:

Provided that the Competent Authority may reject the recommendation of the Civil Services Board by recording the reasons therefor.".

(b) for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

[See rule 7(1) and (5)]

1. Composition of the Civil Services Board:

Every State Government shall constitute a Civil Services Board which shall consist of—

(i)	Chief Secretary	Chairman
(ii)	Senior most Additional Chief Secretary or Chairman, Board of Revenue or Financial Commissioner or an officer of equivalent rank and status	Member
(iii)	Principal Secretary or Secretary, Department of Personnel in the State Government	Member Secretary
(iv)	Principal Secretary or Secretary, Forest	Member
(v)	Principal Chief Conservator of Forest	Member

2. Functions.— (a) The Civil Services Board shall make recommendation for all appointments of cadre officers.

(b) The Civil Services Board shall examine the cases of officers who are proposed to be transferred before completion of minimum period of service as specified under sub-rules (3) and (4) of rule 7 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966.

(c) The Civil Services Board may consider for transfer before the tenure fixed under sub-rules (3) and (4) of rule 7 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 based on such circumstances as it thinks fit.

(d) The Civil Services Board may recommend the Competent Authority the names of officers for transfer before completion of minimum tenure with reasons to be recorded in writing.

3. Procedure.—(a) The Civil Services Board shall seek detailed justification from the Administrative Department of the concerned State Government for the transfer of an officer before the specified tenure.

(b) The Civil Services Board shall—

(i) consider the report of the Administrative Department along with any other inputs it may have from other reliable sources;

(ii) obtain the comments or views of the officer proposed to be transferred based on the circumstances presented to it in justification of the proposal;

(iii) not make recommendation for premature transfer of Cadre Officers unless it has been satisfied itself of the reasons for such premature transfer.

(c) The Civil Services Board shall submit a quarterly report in such Form as it thinks fit to the Central Government clearly stating the details of officers recommended to be transferred before the minimum specified tenure and the reasons therefor:

Provided that the Competent Authority may reject the recommendation of the Civil Services Board for the reasons to be recorded in writing.

[F.No.11033/1(C)/2014-AIS-II]
MANOJ KUMAR DWIVEDI, Director (Services)

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1337 dated the 1st September, 1966 and subsequently amended by :—

Sl.No.	G.S.R. No.	Date
1.	2440	25th October, 1969
2.	485	21st March, 1970
3.	315	18th March, 1972
4.	385E	6th July, 1974
5.	1466	16th October, 1976
6.	124	29th January, 1977
7.	102E	26th February, 1985
8.	1062E	4th November, 1988
9.	379E	19th April, 1993
10.	130E	10th March, 1995
11.	291	5th August, 2000
12.	504E	24th August, 2006

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.